(iii) State should consider giving Police powers to the Railway Protection Force.

रेलवे बोर्ड में स्टाफ डीलिंग शाखाओं में अधिकारी एवं सहायक

1242. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड में उन अधिकारियों एवं सहायकों के, अनुभाग-वार, नाम क्या हैं जो स्टाफ डीलिंग तथा 'पब्लिक डीलिंग' अनुभागों में लगातार पांच वर्षों से अधिक समय से पदासीन हैं ;

(ख) क्या एक ही अनुभाग में लम्बी अवधि तक पद स्थापित होने के कारण कर्मचारियों को न्याय नहीं मिल पाता है और अधिकारी मनमानी करते

(ग) क्या ऐसी कोई प्रावधान है कि किसी कर्मचारी को एक ही अनुभाग में पांच वर्षों से अधिक समय तक न रहने दिया जाये क्योंकि एक ही स्थान पर रहने से एकाधिकार की प्रवृत्तियां पनपती हैं ;

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) और (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार का विचार ऐसे सहायकों और अधिकारियों का स्थानान्तरण करने का है जो एक ही अनुभाग में पांच वर्षों से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं ;

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके विस्तृत कारण क्या हैं ; और

(च) क्या इतनी लम्बी अवधि तक लगातार ऐसे महत्वपूर्ण अनुभागों में सहायकों और अधिकारियों का बना रहना वांछनीय है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जन सेवा संगठन के रूप में भारतीय रेलों के संचालन पर नजर रखते हुए, मंत्रालय के रूप में रेलवे बोर्ड के सभी अनुभाग कर्मचारियों के मामलों से सम्बन्धित विषयों तथा जनता के हित से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित विषयों पर भी कार्रवाई करते हैं । जिन अनुभागों अधिकारियों/सहायकों ने अनुभाग विशेष में पांच वर्ष या उससे अधिक काम किया है उनकी सूची अनुबन्ध 'क' और 'ख' में दी गयी है । [ग्रन्थालय में रखी गयी / देखिये नं० LT-2884/78] ।

(ख) किसी भी व्यक्ति को न्याय न मिलने का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि समग्र वरिष्ठता के आधार पर और प्रत्येक अपनी सेवा के सांविधिक नियमों के अनुसार प्रत्येक संवर्ग में पदोन्नति निर्धारित की गयी है । इस केन्द्रीकृत संगठन में जहां स्थापना से सम्बन्धित सभी मामले सचिव, रेलवे बोर्ड, बोर्ड के सदस्यों और मंत्रियों के नियंत्रण में हैं, अधिकारी विशेष द्वारा मनमाने ढंग से कार्य करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

(ग) से (च) ऐसे कोई प्रशासनिक अनुदेश नहीं हैं कि किसी भी कर्मचारी को उसी अनुभाग में 5 वर्ष से अधिक कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन इस सम्बन्ध में कर्मचारियों की ओर से हाल ही की कार्यालय परिषद की बैठक में दिए गये सुझाव को देखते हुए यह विनिश्चय किया गया है कि प्रशासनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े बिना कर्मचारियों को दूसरी शाखाओं में हस्तान्तरण के अनुरोध पर विचार किया जाए ।

Implementation of Railway Projects in West Bengal

1243. SHRI RUDOLPH RODRIGUES: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the implementation or schedule of any Railway projects will be affected by the damage caused by the recent floods in West Bengal; and

(b) what remedial measures are contemplated or have been carried out to offset these adverse effects of floods in West Bengal?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) The final completion dates of the projects are not likely to be affected by the recent floods in West Bengal.

(b) Does not arise.

Alleged misuse of Funds by Board of Directors of Bird and Company

1244. SHRI SYAM SUNDER GUPTA: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government of India have received any complaints from the staff of Bird and Company Limited relating to misuse of power and company funds by the Board of Directors of this Company;

(b) whether it is also a fact that substantial amounts belonging to the